प्रकरण संख्या 03/2019 2019/00072 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा तहसील व जिला करौली – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 0–10 बीघा ग्राम हनुमानपुरा तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 2–10 बीघा ग्राम हनुमानपुरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तलाई दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु इसमें से 0–10 बीघा नामांतरकरण संख्या 28 से जरिये आवंटन ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा गै.मु. आबादी(बीज गोदाम) दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में गै.मु. आबादी (बीज गोदाम) दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नं 39/2 रकबा 0–10 बीघा ग्राम हनुमानपुरा को गै.मु. तलाई दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2073–76 नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.10.1982 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा तहसील करौली के खिलाफ गलत रूप से पेश किया गया है। तहसील करौली द्वारा गलत प्रकरण दर्ज किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 10 बिस्वा किस्म तलाई वाके ग्राम हनुमानपुरा बाबत् प्रार्थी संस्था सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा के खिलाफ गलत रूप से दर्ज किया गया है उक्त संस्था एक पंजीकृत संस्था है जिस का रजिस्ट्रेशन नंबर 1085/यू.के./16 जनवरी 1964 है। उक्त संस्था जनहित में कार्य करती है तथा उक्त संस्था के लिये जनहित में उक्त भूमि का नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा आवंटन किया गया है। और आवंटन के समय से ही उक्त संस्था आवंटित भूमि पर काबिज है और उक्त संस्था बतौर आवंटी उक्त भूमि पर काबिज है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। प्रार्थी संस्था के विरूद्ध रेफरेन्स कार्यवाही तहसीलदार करौली द्वारा गलत रूप से दर्ज कर कार्यवाही की गई है। उक्त संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है और जनहित में कार्य करती है। प्रार्थी संस्था के विरूद्ध की गई रेफरेन्स कार्यवाही गलत रूप से अमल में लायी गयी है। उक्त भूमि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के अभिशंसा पर श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के द्वारा जनहित में संस्था के लिये आवंटित नियमानुसार की गई है और अब प्रार्थी संस्था के विरूद्ध गलत रूप से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है जो विधि विरूद्ध है और खारिज होने योग्य है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 0–10 बीघा ग्राम हनुमानपुरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. तलाई दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु

जिला कलक्टर

नामांतरकरण संख्या 28 दिनांक 09.10.1982 से किस्म गै.मु. आबादी (बीज गोदाम) जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 10 बिस्वा किस्म तलाई वाके ग्राम हनुमानपुरा बाबत् प्रार्थी संस्था सचिव ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा के खिलाफ गलत रूप से दर्ज किया गया है उक्त संस्था एक पंजीकृत संस्था है जिस का रजिस्ट्रेशन नंबर 1085/यू.के./16 जनवरी 1964 है। उक्त संस्था जनहित में कार्य करती है तथा उक्त संस्था के लिये जनहित में उक्त भूमि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के अभिशंसा पर श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के द्वारा नियमानुसार आवंटित की गई है उक्त संस्था बतौर आवंटी उक्त भूमि पर काबिज है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। अंत में रेफरेन्स कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 39 रकबा 2–10 बीघा ग्राम हनुमानपुरा गै0 मु0 तलाई दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 28 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 0–10 बीघा किस्म गै.मु. आबादी (बीज गोदाम) ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा के नाम दिनांक 09.10.1982 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 39/2 किस्म गै.मु. आबादी (बीज गोदाम) ग्राम सेवा सहकारी समिति हनुमानपुरा के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 तलाई दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर नंबर 39/2 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुमानपुरा की आराजी खसरा नंबर 39/2 रकबा 0–10 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली